लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1469
28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

1469. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार दिये गए उन उन्नत करघों, निर्मित कार्यशालाओं और स्थापित प्रकाश इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में कार्यात्मक,गैर-कार्यात्मक या परित्यक्त हैं;

(ख) एनएचडीपी के अंतर्गत गठित हथकरघा उत्पादक कंपनियों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें वर्तमान में सक्रिय कंपनियां, अर्जित टर्नओवर, सदस्य बुनकरों की संख्या और गैर-कार्यात्मक या निष्क्रिय इकाइयां शामिल हैं;

(ग) वर्ष 2021-22 के दौरान बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है तथा इसके तहत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और वितरित की गई है;

(घ) ऐसे हथकरघा बुनकरों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने बुनकर मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया था लेकिन प्रक्रियात्मक देरी के कारण लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहे; और

(ङ) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, हाथ से बने हुए भारतीय उत्पाद और अन्य डिजिटल वाणिज्य प्लेटफार्मों पर शामिल किए गए कारीगरों और बुनकरों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इन प्लेटफार्मों के माध्यम से वास्तव में हुई बिक्री,सक्रिय उपयोगकर्ताओं और औसत आय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत विभिन्न इन्टर्वेन्शन्स जैसे उन्नत करघें एवं सहायक उपकरण, वर्कशेड के निर्माण, सोलर लाइटिंग यूनिट्स की खरीद, उत्पाद एवं डिजाइन विकास आदि के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में एनएचडीपी के तहत प्रदान किए गए उन्नत करघें एवं सहायक उपकरणों, वर्कशेड के निर्माण, सोलर लाइटिंग यूनिट्स का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों को व्यावसायिक प्रबंधन, सदस्य-स्वामित्व वाले उद्यमों में संगठित करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में हथकरघा उत्पादक कंपनियों (एचपीसी) के गठन और

सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देती है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 के दौरान एनएचडीपी के तहत 237 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया।

(ग) और (घ) रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का ही एक घटक है जो देश भर में अननुकूल और लागत प्रभावी तरीके से सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के लिए अपनी ऋण आवश्यकता को पूरा करने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से हथकरघा क्षेत्र को पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर एंटरप्रेन्योर (उद्यमी) को ऋण राशि का 20% अथवा अधिकतम रु. 25,000/- और हथकरघा संगठन को ऋण राशि का 20% अथवा अधिकतम रु. 20.00 लाख (प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए रु. 2.00 लाख) की सहायता प्रदान की जाती है। हालाँकि, केवल हथकरघा संगठन ही भारत सरकार द्वारा 7% तक की ब्याज छूट के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की पात्रता रखता हैं। हथकरघा संगठन को दिए गए ऋण पर क्रेडिट गारंटी शुल्क भी 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।

वित्तीय सहायता जैसे मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क के समय पर वितरण हेतु, पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से एक केंद्रीकृत ऑनलाइन दावा वितरण प्रणाली "हैंडलूम वीवर मुद्रा पोर्टल" विकसित किया गया है। मार्जिन मनी सीधे लाभार्थियों के ऋण खाते में भेजी जाती है और ब्याज सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से सीधे संबंधित बैंकों को हस्तांतरित की जाती है।

इस योजना के तहत ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए, पात्र हथकरघा बुनकरों/कामगारों को पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित बैंक में अप्रोच करना अपेक्षित होता है। यह संबंधित बैंक को सुनिश्चित करना होता है कि ऋण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी आवश्यक पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता हो। एनएचडीपी के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 (30.06.2026 तक) के दौरान रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत ऋण की राशि और ऋणों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-ख** में दी गई है।

(ङ) सरकारी विभागों को हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग हेतु लगभग 1.50 लाख बुनकरों/हथकरघा कंपनियों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर ऑन-बोर्ड किया गया है। सरकार ने वेरीफाइड बुनकरों और उत्पादक समूहों को जीआई टैग वाले उत्पादों सहित प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में इंडियाहैंडमेड को भी विकसित किया है। वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 (30.06.2026 तक) के दौरान 5413 बुनकर इंडियाहैंडमेड प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्ड हुए।

अनुबंध-क

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एनएचडीपी के तहत उन्नत करघें और सहायक उपकरण, वर्कशेडों के निर्माण तथा सोलर लाइटिंग यूनिट्स की खरीद का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा				
क्र. सं.	राज्य/केंद्र	उन्नत करघों एवं सहायक उपकरणों की संख्या	व्यक्तिगत वर्कशेड्स की संख्या	लाइटिंग यूनिट्स की संख्या
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	4184	709	625
2	अरुणाचल प्रदेश	523	155	526
3	असम	1096	694	0
4	बिहार	89	87	42
5	छत्तीसगढ़	2429	59	0
6	गुजरात	226	0	15
7	हरियाणा	56	7	0
8	हिमाचल प्रदेश	364	251	76
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
10	झारखंड	224	88	262
11	कर्नाटक	3044	18	95
12	केरल	3756	464	697
13	मध्य प्रदेश	0	60	0
14	महाराष्ट्र	236	51	219
15	मणिपुर	25002	368	450
16	मेघालय	0	60	0
17	मिजोरम	30	170	0
18	नागालैंड	200	17	0
19	ओडिशा	60	0	160

20	पंजाब	0	0	0
21	राजस्थान	142	54	76
22	तमिलनाडु	5466	581	348
23	तेलंगाना	1391	73	16
24	त्रिपुरा	210	27	0
25	उत्तर प्रदेश	127	76	142
26	उत्तराखंड	36	39	0
27	पश्चिम बंगाल	0	108	0
	कुल	**48891**	**4216**	**3749**

अनुबंध –ख

व्रर्ष 2021-22से 2026-27 (30.06.2026 तक) के दौरान एनएचडीपी के घटक रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत ऋण की राशि और उनकी राज्य-वार ऋण संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27	
		स्वीकृत ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	3409	2067.12	1318	907.40	1712	1566.80	2528	2489.03	1645	1702.39	102	123.15
2	बिहार	0	0.00	75	46.75	35	35.90	0	0.00	9	9.50	0	0.00
3	गोवा	0	0.00	1	0.45	0	0.00	1	1.90	0	0.00	0	0.00
4	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	जम्मू और कश्मीर	781	704.91	947	983.90	627	794.59	365	521.58	281	437.10	63	93.94

6	कर्नाटक	14	7.90	65	54.23	105	52.50	199	106.91	78	38.55	0	0.00
7	केरल	165	86.00	335	180.80	197	121.50	185	100.50	333	220.82	168	130.75
8	मध्य प्रदेश	44	95.40	88	233.50	0	0.00	102	158.00	44	21.90	4	2.00
9	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	8.04	0	0.00
10	ओडिशा	20	13.20	5	4.00	1	0.50	31	26.50	2	2.00	0	0.00
11	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
12	पंजाब	0	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	राजस्थान	4	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	तमिलनाडु	4742	2345.61	4051	2084.81	4575	2566.74	5203	3100.38	3509	2086.96	503	295.50
15	तेलंगाना	243	291.90	752	508.84	472	584.71	160	152.41	1	1.00	47	46.54
16	उत्तर प्रदेश	72	57.92	81	77.81	86	102.62	70	96.15	8	9.58	0	0.00
17	पश्चिम बंगाल	10	4.75	18	8.50	12	4.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	असम	22	12.75	29	15.60	29	11.20	324	208.80	428	137.20	80	56.50
19	मणिपुर	0	0.00	21	10.50	62	31.00	42	21.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**9526**	**5689.46**	**7789**	**5118.59**	**7913**	**5872.81**	**9211**	**6984.16**	**6341**	**4675.04**	**967**	**748.38**
